कार्यालय :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।
वन भवन – चतरा (झारखण्ड) – 825401

फोन नं0– **06541-296022, Email : (1) dfo-chatranorth@gov.in (2) dfochatranorth@gmail.com**

पत्रांक :– 1575 **दिनांक :–** 02/07/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषयः– **132KV D/C चतरा से हण्टरगंज ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–29.8774 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमंडल–23.3355 हे०, कुल 53.2129 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 1114 दिनांक 07.11.2023 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 2614 दिनांक 14.11.2023.

महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि विषयगत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु समर्पित प्रस्ताव पर सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा दो बिन्दुओं पर की गई पृच्छा के आलोक में बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नवत् हैः–

क्रम	कंडिका विवरणी	जवाब
1	The complete action taken report by state forest official (DFO) including the prosecution proceeding done in the court of law against the violation done.	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयक ट्रांसमिशन लाईन में भारत सरकार के बिना कार्यानुमति/स्वीकृति के 15 टावर का निर्माण गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) में किया गया है एवं इसमें केवल टावर निर्माण का कार्य किया गया है, जो वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। जिसका कुल Violation Area- 0.1091 हे० है। इस सम्बंध में उपायुक्त, चतरा ने अपने ज्ञापांक 1348 दिनांक 03.12.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने "चतरा जिला एवं आस–पास के विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू करने तथा बिजली की समस्या को देखते हुए वन अधिनियम 1980 के अंतर्गत Penal NPV लेने हेतु अनुरोध किया गया है" (छायाप्रति सलंग्न)।
2	Documentary evidence to establish that the violation by way of starting work in forest land was done after the FC application was submitted by user agency.	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल अंतर्गत अधिसूचित/सीमांकित वनभूमि पर टावर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अधिसूचित वनभूमि से बाहर गैर मजरूआ जंगल झाड़ी (G.M.J.J) भूमि पर 15 टावर निर्माण का कार्य किया गया है। जिसके संबंध में जानकारी वन विभागीय पदाधिकारी/ कर्मचारियों को नहीं रहती है।
3		

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु०:–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक –XVIII-04/2020- ..../रा0 दिनांक..............................

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा
दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा।

विषयः– **मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, हजारीबाग द्वारा 132 KV D/C चतरा–हण्टरगंज संचरण लाईन निर्माण के क्रम में अधिसूचित वनभूमि एवं गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी वनभूमि पर ट्रांसमिशन टॉवर अधिष्ठापित किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक–2103, दिनांक–23.10.202**

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से उक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अधिसूचित वनभूमि एवं गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी वनभूमि पर ट्रांसमिशन टॉवर का निर्माण किये जाने से संबंधित सूचना प्राप्त है। वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग ने अपने पत्रांक–819/सं0प्र0, ह0बाग, दिनांक–12.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि–"उक्त संचरण लाईन हेतु गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि की अनापत्ति प्रमाण पत्र आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के ज्ञापांक–1308, दिनांक–22.10.2021 के माध्यम से प्राप्त की जा चुकी है साथ ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक–2204, दिनांक–14.08.2021 के माध्यम से FRA प्रमाण पत्र भी प्राप्त की जा चुकी है।" वरीय प्रबंधक, संरचरण प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त संचरण लाईन का निर्माण नहीं हो पाने से उर्जा का संचरण बाधित हो जाएगा जिससे झारखण्ड राज्य एवं राष्ट्र की क्षति होगी। चतरा जिला एवं आस–पास के विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू करने तथा बिजली की समस्या को देखते हुए वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत Penal NPV लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में वरीय प्रबंधक, संरचरण प्रमण्डल, हजारीबाग से प्राप्त पत्रों की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयांकित मामले में समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक –यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Sd/-
उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 1348 /रा0, चतरा दिनांक 03.12.2024

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
चतरा।

4968
05/12/24

1320 Sys-3